ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 102-104
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

बदलते हुए सामाजिक संरचना में एवं कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्बन्धित कानून एवं नीतिगत सुझाव

अर्चना श्रीवास्तव

शोध अध्येत्री, शिक्षाशास्त्र विभाग, बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुज्जफरपुर (बिहार) भारत

Received- 30.04. 2019, Revised- 06.05.2019, Accepted - 11.05.2019 E-mail: archanasri2610@gmail.com

सारांश : महिला स्वास्थ्य का अर्थ हमारे यहाँ सिर्फ माँ और बच्चे की देखभाल है। गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य ही सरकार, समाज और परिवार की मूल चिंता का विषय है। महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक स्वास्थ्य के साथ–साथ उनके भावनात्मक व मानसिक पक्षों पर कोई गौर नहीं किया जाता। देखा जाये तो महिलायें स्वयं भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक नहीं रहती। लेकिन यह कोई आसामान्य बात नहीं है। जिस समाज में हमारा पालन–पोषण होता है उसमें हमारी परवरिश के तौर तरीके, सोच, संस्कार सभी का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस संदर्भ में यदि हम महिला स्वास्थ्य की बात करना चाहे तो पहले हमें अपने समाज और जीवन के उन पक्षों पर नजर डालनी होगी जो मूल कारक की भूमिका निभाते हैं।

कुंजी शब्द – मूल चिंता, स्वास्थ्य, प्रजनन, लैंगिक, स्वास्थ्य, भवनात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, जागरुक उपवास।

परिवार– भारतीय समाज पुरुष प्रधान होने के कारण परिवारों में लड़कियों और महिलाओं का पालन–पोषण जिस तरीके से होते हैं, उसके खाने–पीने से लेकर इलाज की सुविधा तक पहला अधिकार पुरुषों व लड़कों को दिया जाता है। परिवार में लड़कियों को ऐसे संस्कार दिये जाते हैं जो उन्हें जीवन भर अच्छी गृहणी सबसे अंत में व थोड़ा खाकर संतोष करना सिखाते हैं। लड़कों को पूरी सुरक्षा देना एवं लड़की को प्रकृति के भरोसे छोड़ देना यह मानसिकता उनमें कई प्रकार की कमजोरियों को जन्म देता है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। महिला के खराब स्वास्थ्य का कारण बचपन से ही परिवार में लड़कियों को पराया और गैर माना जाता है और हमारा समाज यह भूल जाता है कि औरत की भूमिका भविष्य की नस्लों के लिए अहम् है।

धर्म – जो महिलाएँ धर्म के नाम व्रत उपवास करती हैं, उनका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। कुछ महिलाएँ परिवार और पति को खुश रखने की सोच के रहते हुए हते में दो दिन, नौ–नौ दिन और एक–एक माह तक का व्रत/रोधा रखती है। धार्मिक कर्मकाण्ड की वजह से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को भी नजरअंदाज करते रहते हैं। पतिव्रता का पालन करने की वजह से महिलाएँ ये भी नहीं सोचती कि अगर वह समय–समय पर भोजन नहीं लेगी तो उनकी सेहत खराब होगी।

काम – महिलाओं के काम का सम्बन्ध उनके स्वास्थ्य से होता है। महिलाएँ पुरुषों से शारीरिक रूप से कमजोर होती है, ऐसा समाज में माना जाता है, जिसके तहत उनको घर के भीतर वाले काम सौंपे जाते हैं, किन्तु समाज में कई महिलाएँ जो गर्भवती होने के समय भी बोझ उठाती है, ईंटों का टप्पर ढोती है और ठेला चलाती हैं तो यह बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि महिलाएँ कहाँ से कमजोर हैं, महिलाओं के दिनचर्या और आराम के घण्टों को समझने क लिये कई महिलाओं से साक्षात्कार की जिसमें से पाया कि आठ महिलाओं को मुश्किल से आराम के लिए एक घण्टा मिलता है। दस में छः महिलाएँ ट्यूशन पढ़ाने या फिर नौकरी या फिर घर बैठे पीस वर्क का काम भी करती हैं। महिला के ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है, जिसमें उन्हें अपने लिये समय निकालना बहुत मुश्किल कार्य है। महिलाओं में कमर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, हताशा, नींद न आना, खून की कमी आदि समस्यायें काम के बोझ के कारण उत्पन्न होती हैं।

महिलाओं की स्वास्थ्य के ऊपर तभी ध्यान जाता है जब काम करने वाला कोई और नहीं रहता अथवा घर की व्यवस्था चरमरा जाती है। बीमार होने पर भी ज्यादातर महिलाओं ने माना है कि उन्हें ठीक से न तो आराम मिलता है और न ही कोई देखभाल होती है। पूरी तरह ठीक न होने के कारण बीमारी के समय पर भी तुरंत दवा खाकर उन्हें काम करना होता है। यदि कुछ महिलायें बार–बार बीमार पड़ती हैं तो परिवार के सदस्य उनको ताने मारकर उनकी मानसिक एवं भावनात्मक सोच को ठेस पहुँचाते हैं।शादी के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती है, जिसका मुख्य कारण यह है कि अगर महिला बीमार रहती है फिर भी उन्हें साथी की इच्छा पूरी करने के लिये शारीरिक सम्बन्ध बनाना पड़ता है उनकी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। महिलाओं की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण यह भी है कि वह चिंता, काम के लगातार बढ़ते बोझ के साथ–साथ आराम व खुराक की कमी भी प्रमुख है।

हिंसा– महिलाओं पर होने वाली हिंसा का (मारपीट,

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

यौनिक, अत्याचार, आर्थिक शोषण) सीधा असर उनकी भावात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिसकी वजह से शरीर में कई बीमारी (हार्मोनल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मानसिक आघात) देखने को मिलते हैं, जो उनके भविष्य के लिए घातक होता है।

स्वास्थ्य व महिला स्वास्थ्य – सामान्य तौर पर लोगों को तीन तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है पहली जो आम किस्म की बीमारियाँ है। जो स्त्री–पुरुष दोनों को होती है। जैसे–टी.वी., मलेरिया इत्यादि। दूसरी वे बीमारियाँ हैं, जो अपने शरीर विशेष की वजह से केवल महिलाओं को या पुरुषों को होती है, उदाहरण के तौर पर सिर्फ महिलाओं को स्तन का कैंसर हो सकता है और पुरुषों को अंगग्रंथि का। तीसरे प्रकार की बीमारियाँ तो होती हैं जो एक विशिष्ट सामाजिक पद्धति में रहने की वजह से होती हैं जैसे रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट।

इन सबके अलावा हमारे समाज में महिलाओं का स्वास्थ्य से एक और सम्बन्ध है, परिचारिका का सम्बन्ध। चाहे वह घर में हो, अस्पताल में, व्यवसायिक भूमिका में ही सही, मरीजों की देखभाल करने का जिम्मा हमेशा महिलाओं का ही होता है। मरीजों की सेवा करने पर भी महिलाओं को कुछ बीमारियों का या कुछ खास परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

भारत में मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक है। हर साल एक लाख महिलाएँ बच्चा पैदा करते समय दम तोड़ देती है। असुरक्षित गर्भपात की वजह से भी कई महिलाएँ अपनी जान गवां देती है। महिलाओं में खून की कमी, कुपोषण, प्रसव पूर्व सेवाओं का अभाव और प्रसव के वक्त स्वास्थ्य सेवा न मिलना आदि मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण हैं।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जनसंख्या नीति :

अधिकांश सरकारें देश की आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिये या राजनीतिक तथा धार्मिक मुनाफों की पूर्ति के लिये अपनी जनसंख्या वृद्धि में हस्तक्षेप करती है। बच्चों की संख्या बढ़ानी हो या घटानी हो, ऐसी नीतियों के लिए महिलाएँ आसान लक्ष्य बन जाती हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 घोषित होने के बावजूद भी दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतने पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जनसंख्या नीति के संदर्भ में उठाये जाने वाले कदम :

1. महिलाओं को अपनी खुद की प्रजनन क्षमता नियंत्रित करने का और यह निर्णय लेने का कि क्या उन्हें बच्चे चाहिये, कब और कितने चाहिये और किससे, यह अधिकार मिलना चाहिये।

2. सभी महिलाओं को सुरक्षित, परिणामकारक, परिवर्तनीय, उपभोक्ता–नियंत्रित गर्भ निरोधक उपलब्ध होने का अधिकार चाहिये।

3. लक्ष्य आधारित जनसंख्या नियंत्रण नीतियों में सुधार किया जाये।

4. महिलाओं के परिवार के आकार से उनकी राजनीतिक सहभागिता को न जोड़ा जाये।

5. परिवार नियोजन में पुरुषों की सहभागिता बढ़ाने और पुरुषों के लिये तैयार किये गये परिवार नियोजन के तरीके का प्रचार करने का लगातार प्रयास किया जाये।

6. महिलाओं को उनके वंश की संख्या 'घटाने' के कारण गर्भनिरोधक तथा गर्भपात की सुविधा को नकारा न जाये।

7. किशोर–किशोरियों और सभी व्यक्तियों को उर्वरता नियंत्रण के तरीकों की जानकारी और शिक्षा देने के लिये विशेष आय.ई.सी. (जानकारी, शिक्षा और संवाद) की रणनीति विकसित की जाये।

सम्बन्धित कानून एवं नीतियाँ – भारत के संविधान में सभी महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना सुनिश्चित किया है, परन्तु महिलाओं की सामाजिक असुविधाओं के कारण यह अधिकार प्रत्यक्ष व्यवहार में नहीं आते और इनका फायदा नहीं उठाया जा सकता।

स्वास्थ्य, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है, अनेक प्रकार से प्रभावित होता है। केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर किसी राष्ट्रीय नीति के बिना मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र कानून के जरिये चलाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य कानून का ढाँचा और आशय अन्य दण्डात्मक कानूनों जैसा दण्डात्मक कानून ही है। स्वास्थ्य सम्बन्धित कानून में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है, जोकि इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मुद्दा मानती है। यह विसंगतियां इस बात में प्रतिबिम्बित होती हैकि बहुत से राज्यों ने स्वास्थ्य नीति तैयार किये बिना ही राज्य की जनसंख्या नीतियाँ बनाई हैं।

लिंग जांच के आधार पर पक्षपात न सिर्फ महिलाओं के लिए घातक और महंगा है, अपितु यह बच्चों और परिवार के लिये भी उतना ही घातक है। यदि महिलाओं को अवसर मिलने में, स्वास्थ्य सेवा में, देखभाल में, वेतन में और सम्पत्ति अधिकार में समानता का भरोसा दिया जाता, तो देश की महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन, विकास की अधिक क्षमताएँ, अधिक राष्ट्रीय उत्पादन सम्भव हो पाता और यह सब पुरुष और महिलाओं के एकत्रित योगदान की वजह से सम्भव हो पाता। स्वास्थ्य सम्बन्धित कानून और नीतियों के संदर्भ में निम्न सुझाव इस प्रकार

PIF/3.007 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

हैं–

सुझाव –22

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिये सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 5 प्रतिशत खर्च किया जाना चाहिये और उसमें से कुछ हिस्सा महिलाओं के लिये हो। समाज में सभी उम्र व समूहों की महिलाओं हेतु स्वास्थ्य जरूरतों का संतुलन रखा जाये।

2. अन्य जानकारी के आधार पर स्वास्थ्य जरूरतों, सेवाओं, खर्च और वितरण का नियंत्रण हो, ताकि नैतिक और वित्तीय सम्पदा के स्रोतों की अचूक और कार्यक्षम जांच करना सम्भव हो।

3. महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून बदले जाये और महिलाओं का दर्जा बढ़ाने के लिये कानून बनाये जाये।

4. हिंसा, बालात्कार और शोषण की परिस्थिति में पुलिस का हस्तक्षेप, न्यायिक सहायता और न्यायिक उपायों तक पहुँच का प्रावधान किया जाये।

5. गर्भलिंग चयन, लिंग निर्धारित गर्भपात, दहेज, घरेलू हिंसा, अपहरण, छेड़छाड़, बलात्कार इन सभी सम्बन्धित कानूनों को सख्ती से अमल किया जाये और इसका निरीक्षण हो।

6. बालिकाओं के विकास और उनकी रक्षा के लिये मुत और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायी जाये, बाल मजदूरी पर रोग लगायी जाये और बाल विवाह को प्रतिबन्धित किया जाये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Annual report-2015-16, Ministry of women and child development, Government of In dia, pp.17-35
2. Annual status of education report (Rural) 2016-17, ASER centre, New Delhi
3. Madhya Pradesh, National Family Health Survey (NFHS-3), India, 2013-14, Interna tional Institute for population Sciences Deonar, Mumbai
4. अग्रवाल गोपाल कृष्ण (2011–12), भारतीय सामाजिक व्यवस्था, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
5. सारस्वत स्वप्निल, सिंह निशांत (2004), समाज, राजनीति और महिलाएँ, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
6. नीता एन, श्रम में लैंगिक न्याय सुनिश्चितता, योजना, अप्रैल, 2017, आई.एस.एस.एन., 0917–8397, पृ.सं. 21,22,23,24

*****